राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संबंध में गुजरात की स्थिति

1550. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी स्तर पर इस बात की जांच की है कि गुजरात का स्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सूची में सार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या इस राज्य में इस क्षेत्र में किया गया व्यापार अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गुजरात में पर्यटन क्षेत्र में आवास और परिवहन जैसी आधारभूत सुविधाएं संतोषजनक नहीं है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार इस आधारभूत ढांचे संबंधी कमियों को दूर करने का विचार रखती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) से (घ) विभिन्न राज्य सरकारों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पर्यटक आगमनों के संबंध में गुजरात राज्य की अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी स्थिति नहीं है।

(ङ) गुजरात के कुछ पर्यटक केन्द्रों में आवास एवं परिवहन जैसी संरचनात्मक सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

(च) और (छ) विशिष्ट स्थानों में पर्यटन संरचना के विकास की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकार की है। राज्य सरकार ने, राज्य में पर्यटन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उदार प्रोत्साहनों की घोषणा की है। केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग ने भी आठवीं योजना के दौरान गुजरात में पर्यटन के विकास के लिए 190.58 लाख रुपयों की राशि की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

12.00 Noon

PAPERS LAID ON THE TABLE

Reports and Accounts (1995-96) of the National Centre of Films for Children and Young People, Mumbai and related papers

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. JAIPAL REDDY): Madam, I lay on the table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Annual Report and Accounts of the National Centre of Films for Children and Young People, Mumbai, for the year 1995-96 together with the Auditors' Report on the Accounts.

(ii) Statement by Government accepting the above Report.

(iii) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (i) above. [Placed in Library. *See* No. LT-2295/97]

I. Report (1996-97) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai.

II. Notifications of the Ministry of Finance.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam, I lay on the Table—

I(A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (3) of section 18 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:—

(i) Annual Report of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 1996-97.

(ii) Review by Government on the working of the above Board. [Placed in Library *see* No. LT-2225/97]

II(A) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 8th March, 1997, under Section 296 of the Income Tax Act, 1961:—

(1) S.O. No. 595, dated 17th May, 1996 regarding exemption u/s 10 (23 C) (iv) of Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961).

(2) S.O. No. 596, dated 17th May, 1996 regarding exemption u/s